इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic. in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2019—माघ 26, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2019

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म–2019, 673.— मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य

संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, दिनांक 13 दिसम्बर 2004 यथा संशोधित दिनांक 16 अगस्त 2013, 18 जुलाई 2014, 19 मई 2017, 26 जनवरी 2018 तथा 13 जुलाई 2018 द्वारा अधिसूचित योजना **"प्रसूति सहायता योजना 2004"** में एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :-

अर्थात :-

(1) योजना की कंडिका **4.1 तथा दिनांक 13 जुलाई 2018 के राजपत्र में उल्लेखित सारणी की कंडिका 3 के कॉलम 4 के स्थान पर निम्नानुसार उप कंडिका प्रतिस्थिापित की जाती है:-**

(4) हितलाभ

4.1 वैध परिचयपत्र धारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचयपत्र धारी पुरूष निर्माण श्रमिक की पत्नी को संस्थागत प्रसूति होने पर प्रसूति सहायता के रूप में 90 दिन (03 माह) की अवधि का अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन अथवा रू. 21 हजार (जो भी अधिक हो) प्रसूति हितलाभ के रूप में देय होगा।

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म-2019, ...671.— भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 278 एवं 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से दिनांक 18 जुलाई 2014 यथा संशोधित दिनांक 14 अगस्त 2015, 13 जनवरी 2017 एवं 13 जुलाई 2018 द्वारा अधिसूचित योजना **"मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना"** में एतद् द्वारा संशोधन करता है :-

अर्थात

(1) योजना की कंडिका 6 एवं 13 जुलाई 2018 की अधिसूचना में उल्लेखित सारणी की कंडिका 4 के कॉलम 4

के स्थान पर

पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक तथा उसके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर वैध उत्तराधिकारी को राशि रूपये 6000 की अंत्येष्टि सहायता प्रदान की जायेगी।

प्रतिस्थापित किया जाता है।

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म–2019, 672.— मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, दिनांक 15 जून 2012 यथा संशोधित 18 जुलाई 2014 द्वारा अधिसूचित योजना **"विवाह सहायता योजना 2004"** में एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :–

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में

कंडिका 6.1–पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रूपये 25 हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी।

न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रूपये 25 हजार सहायता देय होगी एवं इसके अतिरिक्त रूपये 2 हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से देय होगी।

के स्थान पर

कंडिका 6.1–पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रूपये 51 हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी।

न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रूपये 49 हजार सहायता देय होगी एवं इसके अतिरिक्त रूपये 2 हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से देय होगी।

प्रतिस्थापित किया जाता है

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2019

अधिसूचना क्रमांक/..328..- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा, म.प्र. राजपत्र दिनांक 16 अगस्त 2013 द्वारा अधिसूचित **पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना, 2013** को अधिक्रमित करते हुये **"निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना, 2019"** मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है।

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना,- (1) यह योजना **"निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना, 2019"** कहलाएगी।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं।

(ख) परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 से है।

(2) नियम का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ((नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2002

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से है।

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से है।

(5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से है।

(6) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।

(ग) योजना का विवरण एवं पात्रता– अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अंतर्गत वैध पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए यह योजना होगी। इस योजना का उददेश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो कार्य की खोज में किसी स्थान पर एकत्रित होते हैं, उन्हें विश्राम एवं छाया हेतु शेड निर्माण कराया जाना है। योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर पीठा श्रमिकों के लिए शेड निर्माण हेतु मण्डल द्वारा अनुदान के रूप में संबंधित जिलों के श्रम अधिकारी को राशि प्रदान की जायेगी। शेड का पर्यवेक्षण व संधारण भी संबंधित जिलों के श्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(घ) पात्रता –समस्त परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक योजना के लिए पात्र होंगे।

(ङ) चयन – (i) नगरीय क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित जिले के श्रम अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर ऐसे स्थानों का चयन कर, जहाँ नियमित रूप से निर्माण कार्य में रत पीठा श्रमिक कार्य की खोज में एकत्रित होते हैं, शेड निर्माण हेतु स्थान की उपयुक्तता, भूमि की उपलब्धता सहित विस्तृत प्रस्ताव मंडल को प्रेषित किये जायेगे। प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंडल के सचिव द्वारा परीक्षण कर वांछित अनुमति संबंधित जिलों के श्रम विभागीय अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। जिसके पश्चात शेड निर्माण संबंधी कार्यादेश जारी करते हुये निर्माण कार्य जिला श्रम विभागीय अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

(ii) जिन क्षेत्रों में पूर्व से शेड स्वीकृत है किन्तु कतिपय कारणों से निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका है, उन समस्त प्रस्तावों की स्वीकृति इस राजपत्र प्रकाशन दिनांक से निरस्त की जाती है।

(iii) ऐसे शेड जिनमें पूर्व योजना के अंतर्गत स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की राशि जारी उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, उनमें श्रम विभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शेष राशि जारी किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

(च) निर्माण ऐजेंसी– योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार की संस्था GeM (Government e Marketplace) (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार) को शेड निर्माण संबंधी कार्यादेश जिला श्रम कार्यालयों द्वारा दिया जायेगा।

(छ) योजना में हितलाभ– शेड निर्माण के लिए रूपये 02.45 लाख तक की राशि मण्डल द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी। शेड उक्त राशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी।

प्रथम किश्त रूपये 1 लाख दी जायेगी। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर द्वितीय किश्त के रूप में राशि रू. 01 लाख दी जायेगी। कार्य पूर्णता संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर अनुदान की शेष राशि अंतिम व तृतीय किश्त के रूप में रू. 45 हजार दी जायेगी। निर्माण की प्रगति का पर्यवेक्षण का दायित्व श्रम विभागीय अधिकारी का होगा तथा प्रमाण के रूप में फोटो नस्ती में संधारित किये जायेंगे।

शेड के लिए भूमि तथा शेड निर्माण के पश्चात भविष्य में समस्त संधारण कार्य सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के श्रम विभागीय अधिकारी का होगा।

(ज) विसंगति का निवारण– योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

एल. पी. पाठक, सचिव.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2019

क्र. बी-587.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122 एवं धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त संहिता की धारा 122 के द्वारा यथाअपेक्षित अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4 (ग), दिनांक 16 नवम्बर 2018 में किया गया है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 के उपनियम (1) में,—

1. खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) जिला न्यायपालिका के सेवानिवृत्त तथा सेवारत सदस्य"

2. खण्ड (घ) को विलोपित किया जाए.

No. B-587.—In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India read with Section 122 and Section 128 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No.5 of 1908), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, make the following amendment in the Madhya Pradesh Mediation Rules, 2016, the same having been previously published as required by Section 122 of the said Code in the Madhya Pradesh Gazette, Part 4 (c), dated 16th November 2018, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1),—

1. for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) Retired and Serving Members of District Judiciary".

2. clause (d) shall be deleted.

रजिस्ट्रार जनरल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.